

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक - अराज/सामान्य/टीसी/2023/19

दिनांक 23/01/2024

:-: शुद्धिकरण :-:

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 169 दिनांक 24.05.2023 एवं 203 दिनांक 13.06.2023 द्वारा कार्मिकों को मक्का मदीना विदेश यात्रा हेतु स्वीकृति जारी की गई है, की शर्तों में निम्नानुसार पुनः आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.स.	आदेश में अंकित शर्त	संशोधित शर्त
1.	कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगा।	कार्मिक विदेश जाने से पूर्व नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त होकर ही प्रस्थान करेंगे। हज 2023 पर खादिम-उल-हुज्जाज के रूप में साउदी अरब (मक्का मदीना) की विदेश यात्रा को नियमानुसार संबंधित विभाग से प्राप्त उपस्थिती प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर माना जावेगा। यदि उक्त यात्रा हेतु कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो उसको निरस्त कर कार्मिक के अवकाश खाते में पुनः इंड्राज किया जावे।
2.	विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।	हज 2023 पर खादिम-उल-हुज्जाज के रूप में साउदी अरब (मक्का मदीना) की विदेश यात्रा का किसी प्रकार वित्तीय भार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन नहीं किया जाकर नियमानुसार 50 प्रतिशत व्यय हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई एवं 50 प्रतिशत व्यय राज्य हज कमेटी द्वारा वहन किया जावेगा।

शेष आदेश यथावत।

(सुरेश नवल)

निदेशक अराजपत्रित
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक - अराज/सामान्य/टीसी/2023/19

दिनांक 23/01/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. निदेशक, पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक अराजपत्रित
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
4662006

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :22-01-2024 04:04:08